

महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-II), केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM

सं.मले. (लेप. -II)/एपीसी कक्ष/1-11/2025-26

No. AG(Au-II)/APCC/1-11/2025-26/

दिनांक/Date: 08.06.2026

परिपत्र सं.16/ Circular No. 16

विषय: ठेकेदारों / पीपीपी रियायतधारकों को सामयिक भुगतान संबंधी लेखापरीक्षा अनुदेश

Sub: Audit Instructions on Timely Payment to Contractors/PPP Concessionaires

मुख्या.कार्या. द्वारा, पीपीजी पत्र सं. 158/51-PPG/2025 दि. 21 मई 2026 के माध्यम से जारी ठेकेदारों / पीपीपी रियायतधारकों को सामयिक भुगतान संबंधी लेखापरीक्षा अनुदेशों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया था।

The Audit Instructions on Timely Payment to Contractors/PPP Concessionaires, issued vide PPG letter no. 158/51-PPG/2025 dated 21 May 2026 was forwarded by Headquarters for information and necessary action.

सरकारी संचालनों को सुव्यवस्थित करने, प्रापण में पारदर्शिता बढ़ाने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय तरलता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट सचिवालय, व्यय विभाग तथा मुख्या.कार्या. से प्राप्त हालिया रणनीतिक निर्देशों के संक्षेप को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

The brief on the recent strategic directives from the Cabinet Secretariat, Department of Expenditure (DoE) and the Headquarters to streamline Government operations, enhance procurement transparency and ensure financial liquidity in project execution are enumerated below:

1. वरिष्ठ पदाधि कारियों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक सुगम्यता

Mandatory Public Accessibility for Senior Officials

कैबिनेट सचिव के अ.शा सं. 4923/CS/2025 दि. 9 जूलाई 2025 (संलग्न) के अनुसार मंत्रालय संबंधी मामलों के सिलसिले में गैर-पदाधि कारियों से भेंट करने में वरिष्ठ अधि कारियों के बीच विमुखता देखी गयी है। इस मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से निम्न प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं :

As per the **Cabinet Secretary's D.O. No. 4923/CS/2025 dated 9 July 2025** (enclosed), it has been observed that there is reluctance among senior officers to meet non-officials in connection with Ministry-related matters. In order to address this issue, the following protocols have been prescribed:

- सचिवों और वरिष्ठ अधि कारियों को निजी क्षेत्र (भारतीय या विदेशी), श्रमिक संघों, गैर-सरकारी संगठनों व व्यापार मण्डल के आगतुंकों के लिए सुलभ रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए ।

Secretaries and senior officers must endeavour to be accessible to visitors from the private sector (Indian or foreign), trade unions, NGOs and chambers of commerce.

- बैठक अनुरोधों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त व्यक्ति एक उप-न्यायिक विवाद या कानून प्रवर्तन जांच के अधीन है ।

Meeting requests should not be denied solely because the person has a sub-judice dispute or is under a law enforcement investigation.

- बैठकें कार्यालय वातावरण (सामाजिक स्थानों पर नहीं) में होनी चाहिए और यदि आवश्यक माना जाए तो सावधानी के तौर पर एक दूसरा अधिकारी उपस्थित हो सकता है ।

Meetings must occur in office settings (not social venues) and a second officer may be present as a precaution if deemed necessary.

2. रणनीति क प्रापण तथा परियोजना प्रबंधन सुधार

Strategic Procurement and Project Management Reforms

व्यय विभाग सामान्य अनुदेश (का. ज्ञा. सं. F.1/1/2021-PPD) दि. 29 अक्टूबर 2021 (संलग्न) परियोजनाओं के गुणता एवं दक्षता के साथ क्रियान्वयन के लिए ढांचा प्रदान करता है:

The **DoE General Instructions (OM No. F.1/1/2021-PPD) dated 29th October 2021** (enclosed) provide a framework for executing projects with quality and efficiency:

- विभागों को निर्माणों और गैर-परामर्श सेवाओं जहाँ गुणवत्ता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (QCBS) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

Departments are encouraged to use Quality-cum-Cost based Selection (QCBS) for works and non-consultancy services where quality is a paramount consideration.

- विलंब और कानूनी वाद-विवाद से बचने के लिए, परियोजना प्राधिकारीगण निर्धारित समय-सीमा के भीतर समय विस्तार देने और मुद्दों को हल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे ।

To avoid delays and litigation, project authorities shall establish a mechanism for granting time extensions and resolving issues within prescribed timelines.

- एकल बोलियों को नियमतः अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बोलियों को वैध माना जा सकता है, बशर्ते कि निविदा का पर्याप्त प्रचार किया गया हो, पात्रता मानदंड प्रतिबंधात्मक न हों और उद्धृत दरों को उचित निर्धारित किया गया हो ।

Single bids should not be rejected routinely, as such bids may be considered valid provided that the tender was adequately publicised, the eligibility criteria were not restrictive and the quoted rates were determined to be reasonable.

- विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को नवीनतम तकनीकी उपकरणों के साथ तैयार किया जाना चाहिए और सटीक लागत और समय अनुमान सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के साथ परामर्श शामिल होना चाहिए।

DPRs must be prepared with latest technological tools and include consultation with field units to ensure accurate cost and time estimation.

3. ठेकेदार तरलता और वित्तीय राहत उपाय

Contractor Liquidity and Financial Relief Measures

आर्थिक मंदी के बाद संविदाओं के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए, निम्नलिखित निर्देश प्रभावी रहेंगे:

To support the execution of contracts following economic slowdowns, the following instructions remain in force:

- **व्यय विभाग का. ज्ञा. दि. 19 फरवरी 2020** के तहत महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को प्राकृतिक आपदा के तौर पर वर्गीकृत किया गया था जिससे अप्रत्याशित घटना के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

Under **DoE OM dated 19th February 2020**, disruptions caused by the pandemic were classified as a natural calamity, allowing for the invocation of Force Majeure Clauses.

- **व्यय विभाग का. ज्ञा. सं. F.9/4/2020-PPD दि. 12 नवंबर 2020** के अनुसार, वित्तीय संकटों को कम करने के लिए प्रदर्शन प्रतभूतिको अनुबंध मूल्य के 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया था।

As per **DoE OM No. F.9/4/2020-PPD dated 12th November 2020**, Performance Security was reduced from 5-10% to 3% of the contract value to alleviate financial crunches.

- **व्यय विभाग का. ज्ञा. दि. 13 मई 2020** ने लॉकडाउन के कारण तरलता की समस्याओं का सामना करने वाले ठेकेदारों के लिए पूर्ण किए गए कार्य के अनुपात में प्रदर्शन प्रतभूतिकी वापसी को अधिकृत किया है।

The **DoE OM dated 13th May 2020** authorized the return of performance security proportional to the work completed for contractors facing liquidity problems due to lockdowns.

4. ठेकेदारों / पीपीपी रियायतधारकों को सामयिक भुगतान Timely Payment to Contractors/PPP Concessionaires

मुख्या. कार्या. ने पीपीजी पत्र संख्या 158/51-PPG/2025 दि. 21 मई 2026 (संलग्न) द्वारा परियोजनाओं की निरंतरता और गति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित भुगतान समय-सीमा के पालन के महत्व को दोहराया है और निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए हैं:

Headquarters, vide PPG letter No. 158/51-PPG/2025 dated 21 May 2026 (enclosed), has reiterated the importance of adherence to prescribed payment timelines for ensuring continuity and momentum of projects and has also issued the following directions:

- सार्वजनिक प्रापण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित विद्यमान लेखापरीक्षा प्रथाओं की जोखिम-आधारित और दक्षता-उन्मुख लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों के साथ समीक्षा और संरक्षण करें, जिसमें समय पर निर्णय लेने और कुशल परियोजना कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है।

Review and align existing audit practices relating to public procurement and infrastructure projects with risk-based and efficiency-oriented audit approaches, with emphasis on facilitating timely decision-making and efficient project implementation.

- परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक परियोजनाओं में निधि प्रवाह और तरलता प्रबंधन की पर्याप्तता और समयबद्धता की जांच करें।

Examine the adequacy and timeliness of fund flow and liquidity management in public projects through a risk-based audit approach to ensure timely completion and quality implementation of projects.

- ठेकेदार और खरीद इकाई दोनों द्वारा संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति का आकलन करके अनुबंध प्रबंधन में संतुलित, जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें अनुमोदन में, निर्णय लेने में और भुगतान में देरी जो सामयिक व दक्ष परियोजना क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं, शामिल हैं।

Adopt a balanced, risk-based audit approach in contract management by assessing the fulfilment of contractual obligations by both the contractor and the procuring entity, including delays in approvals, decision-making and payments affecting timely and efficient project execution.

- जांच करें कि समय पर भुगतान और धन वापसी के लिए प्रभावी प्रणालियाँ विद्यमान हैं या नहीं और आकलन करें कि ठेकेदारों को भुगतान समय पर और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जाते हैं या नहीं।

Examine whether effective systems are in place for timely payments and refunds and assess whether payments to contractors are released promptly and in accordance with prescribed guidelines.

- जांच करें कि क्या अनुबंध प्रदान करने के बाद असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूतियों को तुरंत वापस कर दिया जाता है, और बोलीदाताओं की तरलता, प्रतिस्पर्धा और प्रापण प्रक्रिया की समग्र दक्षता पर देरी के प्रभाव का आकलन करें।

Examine whether Earnest Money Deposits (EMDs)/bid securities are refunded promptly to unsuccessful bidders after award of contract, and assess the impact of delays on bidder liquidity, competition, and overall efficiency of the procurement process.

मुख्या.कार्या. ने निदेश दिया है कि लेखापरीक्षा पैराओं /रिपोर्टों के एक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा (i) प्रापण इकाई या उसके अधिकारियों द्वारा अनुबंध प्रशासन के दौरान किसी भी प्रतिगामी निर्णय-प्रक्रिया की उचित पहचान सुनिश्चित करें; (ii) समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा पहचानी गई दूरदर्शी प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक नियमों और/या नीतियों में संशोधन का सुझाव दें और (iii) अनुचित देरी और अनुशासन के पालन और समय पर निर्णय लेने में कमी के लिए जिम्मेदारी का उचित निर्धारण सुनिश्चित करें।

Headquarters has directed that, as a vital and necessary part of audit paragraphs/reports, audit shall: (i) ensure proper identification of any regressive decision-making during contract administration by the procuring entity or its officers; (ii) suggest amendments to rules and/or policies required to align them with forward-looking practices identified by the Department of Expenditure from time to time; and (iii) ensure proper fixation of responsibility for unwarranted delays and lack of adherence to discipline and timely decision-making.

इस संबंध में, एएमजी स्कंधों को निदेश दिया जाता है कि वे निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) में एक जांच सूची अवश्य शामिल करें, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि मुख्या.कार्या. की संसूचनाओं निर्धारित जांच को विधिवत पूरा किया गया है। अनुबंध लेखापरीक्षा के संदर्भ में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों के साथ त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान उपरोक्त निर्देशों पर भी विचार किया जा सकता है।

In this regard, AMG wings are directed to invariably include, in the Inspection Reports (IRs), a checklist confirming that the checks prescribed in the Headquarters' communications have been duly carried out. The above directions may also be deliberated during the Quarterly Conference with the Field Audit Parties in the context of contract audits.

(महालेखाकार के दि. 08.06.2026 के आदेशानुसार /

Vide orders of Accountant General dated 08.06.2026)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन और एएमजी I)
Senior Deputy Accountant General (Admin & AMG I)

प्रति लिपि / Copy to:

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार / एएमजी I, एएमजी II, एएमजी III
Sr. Deputy Accountant General/ AMG I, AMG II, AMG III
2. महालेखाकार के सचिव / Secretary to Accountant General
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधि कारी / एएमजी I, एएमजी II, एएमजी III, क्षेत्रीय दल
Sr. Audit Officer/ AMG I, AMG II, AMG III, Field Parties